BUREAU OF INDIAN STANDARDS (Faridabad Branch Office)

Our Ref: FRBO/ A-95000731

27 08 2019

Subject: All India First Application as per IS 5192(Part 2)

FRBO has received an application under normal procedure for grant of licence to use of BIS Standard Mark on the product Natural rubber compounds Part 2 fpr extruded products as per IS 5192(Pt.2):

As per the information obtained from BIS website, circulars of CMD's to ROs/BOs, the following are observed:

1. As on date, no BIS licence exists for the above mentioned product.

2. Marking fee, STI & grouping guidelines are not available for the product.

3. No test facility exists at BIS laboratory or any BIS approved lab.

Therefore, this application may be considered to be all India First Application for the above product.

CMD-3 is requested to provide us with relevant grouping guidelines, STI, Marking fee, if any prevailing for this product.

All ROs and BOs are requested to send information regarding the above product by return mail/e-mail with respect to any application pending at their end or any other information which may be helpful to process the application.

Labs are requested to provide any detail regarding availability of the testing facilities & testing charges as per IS 5192(Pt.2):.

LPPD is also requested to provide any directives in this regard.

(S.K. Arora) Sc.C, FRBO

1500

Sc.F & Head (FRBO)

DDGC/ Head (CMD-3)/Head (LPPD)/Head ROs/Head BOs

ITSD - for circulation on intranet.

SR. Upland on intrant pl.

भारतीय मानक ब्यूरो फरीदाबाद शाखा कार्यालय

हमारा संदर्भ एफआरबीओ/ ए-95000731

27 08 2019

विषय: 5192(भाग 2):1994 के अनुसार ऑल इंडिया फस्ट एप्लीकेशन

एफआरबीओं ने उत्पाद प्राकृतिक रबर मिश्रित भाग 2 एक्सहूडेड उत्पादों के उपयोग के लिए बीआईएस स्टैंडर्ड मार्क का उपयोग करने के लिए लाइसेंस देने के लिए सामान्य प्रक्रिया के तहत एक आवेदन प्राप्त किया है, जो कि बीआईएस वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीएमडी के आरओ / बीओं के परिपत्र, निम्नलिखित देखे गए हैं:

- 1. तिथि के अनुसार, उपरोक्त उत्पाद के लिए कोई बीआईएस लाइसेंस मौजूद नहीं है।
- 2. उत्पाद के लिए अंकन शुल्क, एसटीआई और समूहीकरण दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं।
- 3. बीआईएस प्रयोगशाला या किसी बीआईएस अनुमोदित प्रयोगशाला में कोई परीक्षण सुविधा मौजूद नहीं है।

इसलिए, इस एप्लिकेशन को उपरोक्त उत्पाद के लिए ऑल इंडिया फर्स्ट एप्लीकेशन माना जा सकता है।

सीएमडी -3 से अनुरोध है कि यदि इस उत्पाद के लिए कोई प्रासंगिक समूह दिशानिर्देश, एसटीआई, मार्किंग शुल्क है प्रदान करें।

सभी आरओ और बीओ से अनुरोध है कि उपरोक्त उत्पाद के बारे में जानकारी मेल / ई-मेल द्वारा अपने अंतिम छोर पर लंबित किसी भी आवेदन या किसी अन्य सूचना के संबंध में भेजें, जो आवेदन को संसाधित करने में सहायक हो।

प्रयोगशालाओं से अनुरोध है कि वे परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में पूर्ण परीक्षण शुल्क आईएस 5192 (भाग 2):1994 के अनुसार प्रदान करें।

एलपीपीडी से भी इस संबंध में कोई निर्देश देने का अनुरोध किया जाता है।

(एस0 के0 अरोडा)

वैज्ञानिक सी

वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख (एफआरबीओ) पूर्व पढल

उपमहानिदेशक (मध्य)/ प्रमुख (सीएमडी-3)/ प्रमुख (एलपीपीडी)/ प्रमुख(क्षेत्रीय कार्यालय)/ प्रमुख (शाखा कार्यालय)

प्रमुख (आईटीएसडी) - इस परिपत्र को बीआईएस वेबसाइट पर होस्ट करने के अनुरोध के साथ